राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

त्रैमासिक पत्रिका

A NEWS LETTER OF RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

वर्ष-4 अंक : दसवां वर्ष : 2008 वि.सं. : 2065 बिक्री के लिये नहीं

''अधिकारों के प्रति जागरूक रहो–कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो।''

अध्यक्ष : जस्टिस एन.के. जैन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय/दिशानिर्देश

(माह जुलाई 2008 से सितम्बर 2008 तक)

परिवाद संख्या– 08/17/1442 में आयुक्त, जयपुर नगर निगम ने कॉलोनी में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कर आयोग को सूचित किया।

परिवाद संख्या– 07/17/1516 में एक गरीब कैंसर पीडित महिला के मामले में देरी से जवाब पेश करने पर शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की असंवेदनशीलता बताते हुए हिदायत दी गई कि ऐसे मामलों में कागजी कार्यवाही में विलम्ब न हो और जल्दी से जल्दी पीडित को उचित स्वास्थ्य व्यवस्था दिलवाई जाये।

परिवाद संख्या– 08/17/1973 में जयपुर विकास प्राधिकरण ने झोटवाडा क्षेत्र में चल रहे मूर्तियों के कारखाने एवं पत्थर काटने की मशीनों को हटाकर सूचित किया।

परिवाद संख्या–08/17/2355 में डी.ए.वी. सेन्टनेरी स्कूल, जयपुर में उत्पन्न हुए विवाद पर प्रधान, डी.ए.वी. प्रबन्धन समिति, नई दिल्ली से अपेक्षा की गई कि वे स्कूल की समस्याओं को आपसी समन्वय से सुलझा कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखें।

परिवाद संख्या–08/17/1193– में परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर को वी.सी.टी.टी., पी.पी.टी.सी. एवं ब्लड बैंक में एड्स सलाहकार एवं लैब टेक्नीशियन से उनसे सम्बन्धित कार्य ही करवाने के निर्देश दिए गये।

परिवाद संख्या– 08/17/1672 में अग्निकाण्ड में घायल दीपचन्द की मृत्यु के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री सहायता कोष या अन्य कोष से मुआवजा दिलवाने हेतु लिखा गया।

परिवाद संख्या– 06/17/3509 में पार्किंग स्थल के व्यवसायिक उपयोग बाबत् नगर निगम जयपुर/यातायात पुलिस की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने व मोनिटरिंग की हिदायत दी गई।

परिवाद संख्या– 08/17/1681 में जयपुर बम विस्फोटों में घायल शहूद अख्तर को जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा 25000/– रूपये का भुगतान किया जाकर सूचित किया गया।

परिवाद संख्या– 03/17/1968 में *मैला ढोने वालों को रोजगार और शुष्क शौचालय निर्माण निषेध अधिनियम के बावजूद प्रथा प्रचलित होने के सम्बन्ध में* नगर निगम ने अवगत कराया कि अजमेर रोड पर राजीव कॉलोनी में जो कच्चे पत्थरों की लैट्रीन थी, वहां मकान मालिक द्वारा पक्की लैट्रीन बनाकर सोकपिट में कनेक्शन करवा दिया गया है।

परिवाद संख्या– 05/17/3038 व परिवाद संख्या– 05/01/3234 में राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर से पूछा गया कि एड्स की रोकथाम के लिए किए गये प्रचार–प्रसार व ईलाज की सुविधा से एड्स के मरीजों की संख्या में बढोतरी हुई या कमी आई?

परिवाद संख्या– 08/17/663 में परिवादी को बिजली पाने से किसी न किसी रूप से डिप्राइव करना पाये जाने पर विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों से मामले के तथ्यों को देखते

हुए अपने स्तर पर कानूनसम्मत कार्यवाही करने की अपेक्षा की।

परिवाद संख्या– 08/17/289 में प्रसूति अवकाश बाबत् प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप–1 विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हेमलता सारस्वत के केस में दिए गये आदेश के अनुरूप एक माह में कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई।

परिवाद संख्या–08/17/1819 में रेजिडेन्ट डाक्टर्स द्वारा दिनांक 8.6.2008 को की गई हडताल के सम्बन्ध में **जयपुर एसोसियेशन ऑफ रेजिडेन्ट डाक्टर्स** को अपंजीकृत संगठन एवं *Legal Entity* और *Locus Standi* के अभाव में *Null & Void* होना पाये जाने पर हडताल के लिए कथित एसोसियेशन के अध्यक्ष/पदाधिकारियों को उत्तरदायी माना और रेजीडेन्ट डाक्टर्स को आत्मचिंतन करने के निर्देश के साथ–साथ, मेडिकल कॉलेज प्रशासन को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी गई। इसके अलावा ऐसी समस्याओं के तुरन्त निदान में अनावश्यक देरी से आमजन को असुविधा के साथ–साथ लॉ एण्ड आर्डर की समस्या ना हो, इस हेतु उचित कार्यवाही की अनुशंसा करते हुए राज्य सरकार व सम्बन्धित अधिकारियों से भविष्य में आपसी समन्वय बनाये रखते हुए कर्त्तव्यों के प्रति समर्पण की भावना व संवेदनशीलता से जनता के स्वास्थ्य की रक्षा व मानव हित में काम करने की अपेक्षा की, जिससे आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ मानव हित व सुशासन में मदद मिल सकें।

परिवाद संख्या– 08/17/1540 में शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग से अपेक्षा की गई कि मिड डे मील कार्यक्रम में उद्देश्य पूर्ति के लिए दिशा–निर्देशों के अनुसार मोनिटरिंग करते रहे।

परिवाद संख्या–08/17/2927 में एस0एम.एस.एच0 लेब में उपलब्ध अत्याधुनिक उपकरणों के संचालन एवं देखभाल हेतु स्वास्थ्य मंत्री से उचित कार्यवाही की अपेक्षा की गई।

परिवाद संख्या–08/17/1542 में न्यूरो सर्जरी विभाग की प्रथम यूनिट में हैड द्वारा लेट राउण्ड लेने से मरीज की एक डोज मिस होने जैसी स्थिति को देखते हुए सम्बन्धित डाक्टर्स से अपेक्षा की गई कि वे ओ.टी. एवं ओ.पी.डी. के दिनों को छोडकर समय पर राउण्ड ले, जिससे परिजनों के मिलने के समय किसी प्रकार की असुविधा ना हो।

परिवाद संख्या– 07/06/755 में आयोग की खण्डपीठ के निर्देशानुसार परिवादी को टोकनमनी क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाने के साथ–साथ दोषियों के विरूद्व धारा– 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही कर आयोग को सूचित किया गया।

परिवाद संख्या– 08/07/1607 में पुलिसकर्मी श्यामसुन्दर के विरूद्व 16 सी.सी.ए. करने के साथ पीडिता के भरण पोषण की राशि श्यामसुन्दर के वेतन से कटौती कर न्यायालय में जमा करवा कर आयोग को सूचित किया गया।

परिवाद संख्या– 8/10/264 एवं 08/07/1363 में आयोग के निर्देशानुसार बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्व विभिन्न धाराओं में चार्जशीट पेश कर सूचित किया गया।

परिवाद संख्या– 07/06/3860 में अनुसंधान का सत्यापन करवाया गया व माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने भी पिटीशन संख्या– 533/97 में अभिनिर्धारित किया कि जो दस्तावेज न्यायालय में पेश किया जा चुका है, उसके बारे में न्यायालय ही विनिश्चय करेगा।

परिवाद संख्या– 06/08/2408 में न्यास द्वारा आबंटी की परिवेदना पर एक विकलांग को वैकल्पिक भूखण्ड दिए जाने के सम्बन्ध में लिए निर्णय के बारे में यू.आई.टी. से जवाब मांगा।

परिवाद संख्या– 06/19/2112 में आयोग के निर्देशानुसार अति0 जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में औद्योगिक ईकाईयों को ग्रेनाइट की स्लरी निर्धारित स्थान पर ही डालने का निर्णय लेकर आयोग को सूचित किया।

निरीक्षण :–

श्री पुखराज सीरवी, माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 09.09.2008 को श्री करणी माता राजकीय सामुदायिक अस्पताल, पुलिस थाना–देशनोक व दिनांक 13.9.2008 को थाना–मकराना का आकस्मिक निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

श्री एन. मौरिस बाबू, महानिरीक्षक (पुलिस), आयोग द्वारा परिवाद संख्या– 08/05/2091 में व दिनांक 21.9.2008 को

पुलिस थाना–बालोतरा का आकस्मिक निरीक्षण कर कमियों के बारे में सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गये।

महानिरीक्षक (पुलिस), आयोग द्वारा परिवाद संख्या–08/17/2332 में सेंट ऐंसलम स्कूल, मालवीय नगर जयपुर की आकस्मिक जांच कर रिपोर्ट आयोग के समक्ष पेश की।

विभिन्न शैक्षेणिक संस्थाओं/ एन0जी0ओ0 द्वारा आयोजित मानव अधिकारों की जागरूकता के विभिन्न कार्यकमों में आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा शिरकत करने के साथ–साथ मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बाबत् चर्चा की गई, जिनमें से कुछ निम्नांकित है :–

दिनांक 6 जुलाई 2008 को ***श्री जैन रत्न युवक परिषद्, जयपुर*** के *धार्मिक शिक्षण शिविर के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह* में पद्मभूषण सर्वश्री डी.आर. मेहता, कुशलचन्द जी हीरावत, सुनील मोहनोत,, प्रशान्त करनावट, परेश कोठारी, बालक–बालिकाओं, उनके अभिभावकों व उपस्थित जनसमूह के साथ।

दिनांक 8 जुलाई 2008 को लायन्स क्लब, जयपुर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में नव निर्वाचित अध्यक्ष सर्वश्री कैलाश शाह, जगत सिंह, विवेक काला, जी.आर. नाहर, ज्ञान अग्रवाल, एन. लुहाडिया उपस्थित सदस्यगण व गणमान्य व्यक्तियों के साथ।

दिनांक 15 जुलाई 2008 को ***प्रधान महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान*** द्वारा आयोजित *वेस्ट जोन इण्डियन ऑडिट एण्ड एकाउंट्स डिपार्टमेन्ट बैडमिन्टन टूर्नामेन्ट* में उद्घाटन समारोह में सर्वश्री संजीव सलूजा, प्रधान महालेखाकार, आनन्द मिश्रा, उप महालेखाकार, व अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित खिलाडियों व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ।

दिनांक 23 जुलाई 2008 को ***रोटेरी क्लब जयपुर राउण्ड टाउन व मिड टाउन*** द्वारा मानवाधिकारों पर आयोजित एक कार्यक्रम में रोटेरी सर्वश्री राजीव नाहर (प्रेसिडेंट) रोटेरी राकेश चटर, अजय काला, रमेश अरोड़ा, क्लब के अन्य पदाधिकारी व सदस्यगण आदि के साथ।

दिनांक 27 जुलाई, 2008 को जैन अभिभाषक संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उप–सचेतक सर्वश्री महावीर प्रसाद जैन, सुरेन्द्र मोहन, जितेन्द्र मोहन, वीरेन्द्र गोदिका, विभिन्न जिलों के अभिभाषक व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ।

दिनांक 1 व 2 अगस्त 2008 को गोवा में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में तम्बाकू के दुष्प्रभाव व रोकथाम हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा तैयार पेपर ***नेशनल आर्गेनाइजेशन फोर टोबेको इरडिकेशन (एन.ओ.टी.आई इण्डिया)*** द्वारा पढा गया।

दिनांक 15 अगस्त 2008 को ***गीता बजाज बाल मंदिर संस्थान*** में आयोजित *स्वतंत्रता दिवस समारोह* में श्री डांडिया साहब, संस्थान के अध्यक्ष श्री पाटनी जी, श्री नाहरचन्द जी, विभिन्न आचार्यों, शिक्षकगण, छात्र–छात्राओं के साथ।

दिनांक 15 अगस्त 2008 को ***आकाशदीप पब्लिक स्कूल*** में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में सर्वश्री किशन चन्द शर्मा, एल.सी.भारतीय, मनोहर प्रभाकर,–वरिष्ठ पत्रकार, प्राचार्य एवं संस्था के समस्त अध्यापकगण व छात्र–छात्राओं के साथ।

दिनांक 24.8.2008 को ***मातृ वन्दना समिति*** द्वारा राष्ट्रसंत आचार्य श्री महाप्रज्ञ व युवाचार्य के सानिध्य में आयोजित मातृ वन्दना एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में सर्वश्री डा. बी.डी. कल्ला– पूर्व अध्यक्ष राज0 प्रदेश कांग्रेस, पूर्व नरेश (बिग्रेडियर) श्री भवानी सिंह, राजेन्द्र बरडिया– प्रमुख समाजसेवी, एस.एन.थानवी– प्रमुख शासन सचिव (गृह), राजेन्द्र जैन, सुरेन्द्र छाजेड, डॉ. कान्ता छाजेड आदि के साथ।

दिनांक– 4.9.2008 को ***इन्टरनेशनल कॉलेज फॉर गर्ल्स, जयपुर*** द्वारा मानव अधिकार और मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली विषय पर वाईस चांसलर, जस्टिस नरेन्द्र माथुर, निदेशक अशोक गुप्ता, डीन– डा. एन.के. जैन, स्कूल प्रिंसिपल डॉ. राखी गुप्ता, शिक्षकगण, छात्र–छात्राओं व शिक्षकगण के साथ ।

दिनांक 16.9.2008 को ***श्री दिगम्बर जैन मंदिर महावीर नगर प्रबन्ध समिति*** द्वारा क्षमावाणी कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष सर्वश्री सुरेन्द्र कुमार जैन, मंत्री– पदमचन्द पापडीवाल, अन्य पदाधिकारीगण व सदस्यगण व उपस्थित महानुभाव के साथ ।

दिनांक 18.9.2008 को ***सोफिया गर्ल्स कॉलेज, अजमेर*** में *State Advisory Committee (SAC) for National Programme on Human Rights Education in Schools of Rajasthan* की मीटिंग में जस्टिस एस.एन. भार्गव, श्री पी.एल. मीमरोठ, सिस्टर सेरेना, मैडम अर्चना शर्मा, सदस्यगण, छात्राओं, पत्रकार बंधुओं व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्राइवेट स्कूलों में कक्षा–6 से मानवाधिकार विषय पर कोर्स से अन्य स्कूलों को जोडने व इस दिशा में *improvement* के साथ–साथ आर्टिकल–51ए के संकल्प के प्रचार–प्रसार के बारे में।

दिनांक 28.9.2008 को अहिंसा दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में आचार्य श्री महाप्रज्ञ, युवाचार्य, साध्वी कनकप्रज्ञा, सर्वश्री महेन्द्र कर्नावट, जी.एल. नाहर व संघ अणुव्रत समिति के समस्त सदस्यगणों के साथ।

मानवाधिकारों से सम्बन्धित विषय सामग्री का जनहित में प्रकाशन :–

आम लोगों में विधिक साक्षरता व जन जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोग द्वारा प्रकाशित बुकलेट्स को निम्नांकित संस्थाओं / व्यक्तियों द्वारा पुनः प्रकाशित करवाया गया :–

1. श्री दिगम्बर जैन नसियां उदयलाल जी ट्रस्ट, जयपुर
2. *SIDDHA, Recreating Reality*, 68, गोपालबाडी, जयपुर।
3. अजमेर से 'जीत की भेरी' (मासिक) में क्रमशः प्रकाशित।
4. Articles in English and Articles translated in English बर्लिन (जर्मनी) की वेबसाईट herenow4u.de पर उपलब्ध।

मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के साथ–साथ आमजन में कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल– 51–ए की मंशा के अनुरूप संकल्प के लिए शुरू की गई मुहिम के तहत् करीब 60 स्कूल / संस्थाओं द्वारा सुबह की प्रार्थना के समय संकल्प को दोहराया जा रहा है जो अनुकरणीय है व अन्य कई संस्थाओं में प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त कुछ निम्नलिखित महानुभावों एवं संस्थाओं द्वारा यथोचित कार्यवाही कर आयोग को सूचित किया गया :–

1. श्री कालीचरण सर्राफ, माननीय शिक्षा मंत्री,
2. विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग,
3. श्री पी.डी. सिंह, डायरेक्टर, टैगोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,
4. मैडम उर्मिल वर्मा, प्रिंसिपल, महावीर पब्लिक स्कूल
5. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सम्बद्ध (Affilated) कॉलेज
6. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग,
7. अति0 निदेशक (शैक्षिक) प्रारम्भिक शिक्षा, राज0 बीकानेर
8. मैडम प्रिया मिश्रा शेखावत, डायरेक्टर, सैन्ट्रल एकेडमी
9. श्री गोस्वामी जी व श्रीचन्द्र साहू–भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन.जी.ओ. तिहाड जेल)
10. मैडम प्रेरणा अरोड़ा, 'पहल' पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर (सडक सुरक्षा हेतु एन.जी.ओ.)
11. परम भागवत शिक्षा एवं सामाजिक विकास संस्थान, *(NIFESM)* जयपुर।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सम्मुख दिनांक 30.6.2008 को *941* प्रकरण शेष थे। नये परिवाद *1011* आये तथा नये व पुराने कुल *1042* प्रकरणों का निस्तारण करने के बाद आयोग के सम्मुख दिनांक 1.10. 2008 को *910* प्रकरण शेष रहे।

अध्यक्ष- न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, **सदस्यगण-** जस्टिस जगत सिंह, श्री डी.एस. मीणा एवं श्री पुखराज सिरवी, महानिरीक्षक पुलिस, राज्य मानव अधिकार आयोग, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।

सम्पादक : उप-सचिव, राजस्थान मानव अधिकार आयोग, जयपुर।

E-mail : rshrc@raj.nic.in **Website :** www.rshrc.nic.in **Fax :** 0141-2227738 **Tel. :** 2227565, 227183

Book Post